सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन के लिये हस्तपुस्तिका

कार्यालय महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

वर्ष 2016 के प्रतिवेदन संख्या–6

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित करता है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित की जाती है।

यह पुस्तिका* दो निष्पादन लेखापरीक्षायें, तीन लेखापरीक्षायें, एक अनुगामी लेखापरीक्षा एवं संव्यवहारों की लेखापरीक्षा पर 11 प्रस्तरों के परिणामों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों पर बल देते हुए समस्त परिदृश्य प्रस्तुत करती है। लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,526.92 करोड़ है।

सम्पूर्ण प्रतिवेदन वेबसाइट ***डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एजीयूपी.एनआईसी.इन*** पर उपलब्ध है।

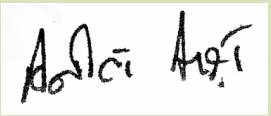

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

**नोटः यद्यपि सम्बन्धित प्रतिवेदन से इस विषय–वस्तु के प्रकाशन में समरूपता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है, किसी विसंगति की दशा में जो तथ्य एवं आँकड़ें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बतायी गयी है, अन्तिम होगी या उस सीमा तक प्रभावी होंगी।*

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश राज्य में 31 मार्च 2016 को 65 कार्यरत पीएसयू (58 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) और 38 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) थे। 30 सितम्बर 2016 तक कार्यरत पीएसयू ने, अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, ₹ 85,281.53 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया एवं कुल ₹ 17,789.91 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2016 की समाप्ति पर कार्यरत पीएसयू में 1.14 लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.2)

पीएसयू में निवेश

एक सौ तीन पीएसयू में, 31 मार्च 2016 को, ₹ 1,96,277.76 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) था। 2015–16 में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कुल निवेश का 99.46 प्रतिशत लेखांकित किया गया। 2015–16 के दौरान सरकार ने अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 19,794.16 करोड़ का योगदान पीएसयू को दिया।

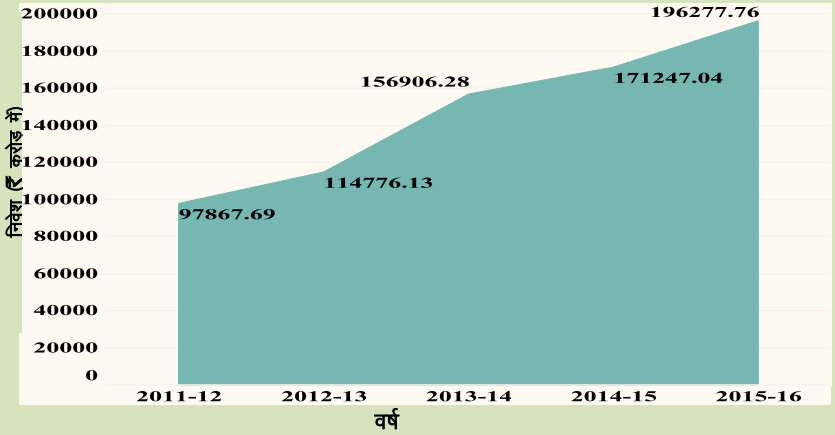

(प्रस्तर 1.6 एवं 1.8)

पीएसयू का निष्पादन

अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 65 कार्यरत पीएसयू में से, 33 पीएसयू ने ₹ 707.52 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 24 पीएसयू ने ₹ 18,497.43 करोड़ की हानि वहन की।

लाभ में मुख्य योगदानकर्ता, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 207.19 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 98.71 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 92.63 करोड़) और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड (₹ 66.15 करोड़) थे। भारी हानि वहन करने वालों में दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,521 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4,094.62 करोड़), मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,262.77 करोड़) और पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,171.51 करोड़) थे।

(प्रस्तर 1.16)

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक अंकेक्षकों ने वर्ष 2015–16 के दौरान 31 कार्यरत कम्पनियों द्वारा अन्तिमीकृत 44 लेखाओं में से 42 लेखाओं पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र, एक लेखा पर एडवर्स प्रमाणपत्र तथा एक लेखा पर डिस्क्लेमर दिया। 26 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 95 दृष्टान्त पाये गये।

अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों ने चार लेखे अन्तिमीकृत किये। इनमें से दो लेखे, जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, एक लेखा में क्वालीफाइड प्रमाणपत्र तथा एक लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। शेष दो लेखाओं में से, सांविधिक अंकेक्षकों, ने एक लेखा पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र एवं एक लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिया। दो लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी पाँच दृष्टान्त पाये गये।

(प्रस्तर 1.21 एवं 1.22)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

छः निगमों की दो से छः वर्ष के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया। राज्य विधानमंडल में एसएआर का प्रस्तुतीकरण न करना सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है और उनकी वित्तीय जवाबदेही को विरल करता है।

सरकार को विधानमंडल में एसएआर का शीघ्र प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 1.14)

निष्पादन लेखापरीक्षायें

पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

योजना

पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करने, ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने एवं उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया गया। योजना राज्य के 168 शहरों में कार्यान्वित की गयी।

योजना भाग–ए एवं भाग–बी में विभाजित थी। भाग–ए में (i) बेसलाइन आँकड़ों तथा ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अप्लीकेशन्स एवं आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र की प्रतिस्थापना, (ii) बड़े शहरों में पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली (स्काडा/डीएमएस) की स्थापना शामिल थी तथा भाग–बी में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के नियमित कार्य शामिल थे।

(प्रस्तर 2.1.1)

उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या परियोजनाओं का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक, मितव्ययी और प्रभावी ढंग से किया गया एवं योजना के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी।

(प्रस्तर 2.1.4)

लेखापरीक्षा परिणाम

ऋण के अनुदान में परिवर्तित नहीं होने के कारण हानि

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जीओआई द्वारा योजना के भाग–ए (i) एवं (ii) तथा भाग–बी के लिए दिये गये ऋण का क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत परियोजनाओं के निर्धारित समय में पूर्ण होने पर अनुदान में परिवर्तित होना था।

डिस्कॉम्स को योजना की स्वीकृत लागत ₹ 7,971.48 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4,110.70 करोड़ अवमुक्त किया गया। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मार्च 2016 तक ₹ 3,764.72 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी, भाग–ए (i) एवं बी में भौतिक प्रगति क्रमशः 90 एवं 56.65 प्रतिशत मात्र प्राप्त की जा सकी जबकि भाग–ए (ii) स्काडा में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुयी थी।

सभी शहरों तथा चयनित शहरों की प्रमुख मदों की भौतिक प्रगति

सभी शहर

चयनित शहर

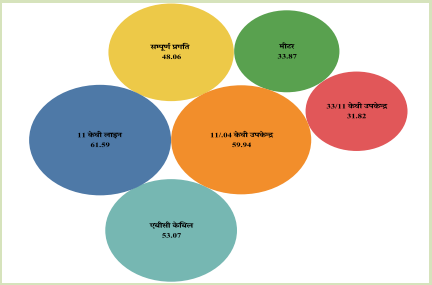

इस प्रकार, निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूर्ण नहीं करने के कारण योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 4,110.70 करोड़ के ऋण का ₹ 2,332.58 करोड़ के अनुदान में परिवर्तन के अवसर दूरस्थ थे। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने आईटी सक्षम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने एवं एटी एण्ड सी हानियों का अनुश्रवण तथा कम करने के लिए प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार का अवसर खो दिया।

(प्रस्तर 2.1.2, 2.1.12, 2.1.26, 2.1.27 एवं 2.1.28)

गो–लाइव पश्चातवर्ती एटी एण्ड सी हानियों में वृद्धि

डिस्कॉम्स की एटी एण्ड सी हानियाँ सभी शहरों को गो–लाइव घोषित किये जाने के बाद जो कि आधार वर्ष 2009 के लिए 23.38 एवं 34.92 प्रतिशत के मध्य थी से बढ़कर 33.04 एवं 45.95 प्रतिशत (जुलाई 2015 से जुलाई 2016) हो गयी जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट में देखा जा सकता है:

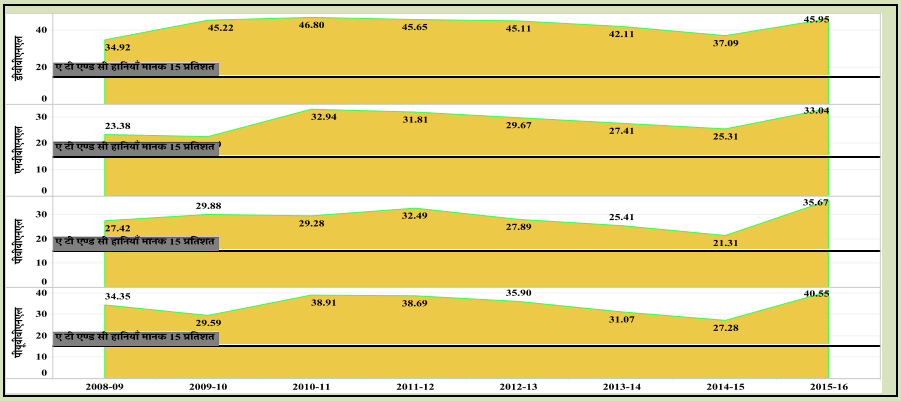

एक पूर्ण शहर जो कि इटावा था, में यह 65.71 प्रतिशत (फरवरी 2013 से अप्रैल 2013) से बढ़कर जुलाई 2016 में 73.16 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार, योजना एटी एण्ड सी हानियों को कम करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2.1.28)

कार्य को विलम्ब से प्रदान करने के कारण लागत अतिरेक

बयालीस शहरों में से 33 शहरों में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन की दिनांक से कार्य आवंटन में 18 से 45 माह तक के विलम्ब एवं कार्यक्षेत्र के विचलन के परिणामस्वरूप लागत में ₹737.88 करोड़ की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.1.36)

निविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण हानि

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टर्नकी ठेकेदार (टीकेसी) को कार्य करने का प्रस्ताव दरों की वैधता अवधि के अन्दर देने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹134.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.1.37)

स्काडा में खराब प्रगति

बारह शहरों की परियोजनाओं की स्वीकृत लागत ₹ 280.81 करोड़ थी जिसमें से ₹ 79.96 करोड़ जीओआई से प्राप्त हुआाा और ₹17.59 करोड़ मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं सलाहकार को भुगतान करने में व्यय किया गया था। तथापि, मार्च 2016 तक, चार वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी परियोजना में कोई भौतिक प्रगति नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.25)

स्काडा के कार्यक्षेत्र में कटौती के कारण हानि

दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना, किसी भी स्तर पर, बिना नोडल एजेन्सी की लिखित सहमति के हस्तान्तरित/त्यागी नहीं जा सकती, अन्यथा डिस्काम्स को सम्पूर्ण बकाया राशि ब्याज सहित नोडल एजेन्सी को वापस करनी होगी।

यूपीपीसीएल ने दो परियोजनायें, पूर्ण कार्यक्षेत्र के साथ, लखनऊ और वाराणसी शहरों में; जबकि, शेष दस शहरों में केवल उपकेन्द्र स्वचालन स्तर तक घटे हुए कार्यक्षेत्र के साथ कार्यान्वयन करने का निर्णय (अगस्त 2015) बिना नोडल एजेन्सी की सहमति के लिया। इसलिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार डिस्काम्स पीएफसी को ₹ 82.66 करोड़ (₹ 18.46 करोड़ का ब्याज सम्मिलित करते हुए) वापस करने के लिये उत्तरदायी थे।

(प्रस्तर 2.1.26)

आईटीआईए का अनुचित पक्षपात

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आईटी सक्षम प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (आईटीआईए) द्वारा डिजाइन के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, जीआईएस डाटा को अद्यतन नहीं करना, सभी मॉड्यूल्स का एकीकृत परीक्षण नहीं किया जाना इत्यादि के कारण सभी शहरों में कार्यक्रम का गो–लाईव दोषपूर्ण रहा। इन दोषों के बावजूद, डिस्कॉम्स ने दोषपूर्ण गो–लाईव हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करके तथा उनके बिलों से ₹ 77.51 करोड़ के अर्थदण्ड की कटौती न करके आईटीआईए का अनुचित रूप से पक्षपात किया।

(प्रस्तर 2.1.24)

वैध बैंक गारंटी (बीजी) प्राप्त करने में विफलता से हानि

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2007) के अनुसार, बैंक गारंटी (बीजी) का सत्यापन स्वीकृति से पहले किया जाना चाहिए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, टीकेसी से बैंक से सत्यापन के बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की ₹ 14.32 करोड़ की

बीजी स्वीकार कर लिया। अनुवर्ती जाँच (मई 2015) के दौरान यह पता चला कि बीजी नकली थीं। परिणामस्वरूप, यद्यपि अनुबंध को जुलाई 2015 में समाप्त कर दिया गया था, बीजी को भुनाया नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.1.38)

अनियमित मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त करके अनुचित लाभ

अक्टूबर 2012 से जून 2015 के दौरान 21 शहरों से सम्बन्धित कार्यों के लिये डिस्कॉम्स के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) ने ₹ 74.30 करोड़ का ब्याजमुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम टीकेसी को प्रदान किया। यह कृत्य न केवल सीवीसी के दिशानिर्देशों का एवं यूपीपीसीएल की बीओडी के आदेश का उल्लंघन था अपितु डिस्कॉम्स के वित्तीय हितों के विरूद्ध भी था, क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याजयुक्त ऋण (11.5 प्रतिशत) से दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.75 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.1.49)

नेटवर्क बैण्डविथ सेवा प्रदाता (एनबीएसपी) को अनियमित भुगतान

डिस्कॉम्स ने एनबीएसपी को शहरों में आंशिक संयोजकता के लिए ₹ 8.98 करोड़ का अनियमित भुगतान किया, जबकि भुगतान एक शहर में सभी लिंक के सफल संयोजकता पर किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा किये गए सर्वेक्षण में खराब एनबीएसपी सेवाओं से सम्बन्धित तथ्य की पुष्टि लाभार्थी डिस्कॉम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भी की गई।

(प्रस्तर 2.1.13)

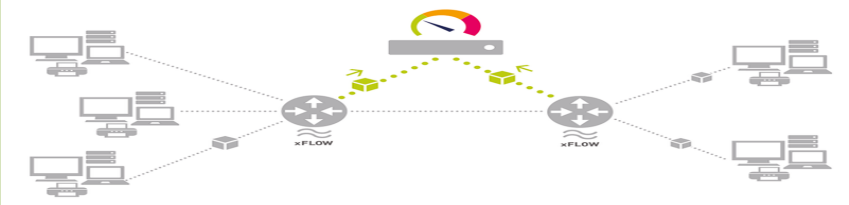

ठेकेदार को उच्च दर अनुमन्य करके अनुचित लाभ

डीवीवीएनएल के नोडल अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत इटावा शहर के (मार्च 2015 में पूर्ण) क्रियान्वित आगणन में 14 मदों में स्वीकृत दरों से उच्च दरें अनुमन्य की। अतिरिक्त भुगतान की क्षतिपूर्ति, कुल क्रियान्वित लागत को स्वीकृत डीपीआर लागत के अन्दर रखते हुए छः मदों की मात्रा कम करके की गई। इस प्रकार, टीकेसी को ₹ 4.53 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(प्रस्तर 2.1.39)

परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

लखनऊ शहर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में दो उपकेन्द्रों का निरीक्षण किया गया। एक उपकेन्द्र (सुगामऊ) पूर्ण पाया गया परन्तु सम्बन्धित लाइन निर्मित नहीं थी। दूसरे उपकेन्द्र (प्रियदर्शनी कालोनी) के मामले में, डिस्कॉम द्वारा अवसंरचना उपलब्ध करानी थी; डिस्कॉम द्वारा भूमि एवं भवन समय से उपलब्ध नहीं कराये गये, इसलिए, उपकेन्द्र को पूर्ण नहीं किया जा सका, जैसा की निम्न चित्रों में देखा जा सकता है।

लखनऊ में अपूर्ण उपकेन्द्र

लखनऊ में उपकेन्द (सुगामऊ)

लखनऊ में उपकेन्द भवन (प्रियदर्शनी कालोनी)

(प्रस्तर 2.1.43)

लाइनों के निर्माण पर निष्फल व्यय

आर–एपीडीआरपी के अन्तर्गत कन्नौज शहर में पार्ट–बी का कार्य अप्रैल 2015 में बंद कर दिया गया क्योंकि जीओयूपी ने, बिना कोई कारण बताये, उपरगामी विद्युत प्रणाली को आर–एपीडीआरपी योजना के स्थान पर भूमिगत प्रणाली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत परिवर्तित कराने का निर्णय (अप्रैल 2015) लिया। हालांकि, डीवीवीएनएल के निदेशक मण्डल ने इस परिवर्तन के लिए शहर की राजनीतिक संवेदनशीलता का कारण बताते हुये योजना के लिए डीपीआर तैयार किया। इसके परिणामस्वरूप उपरगामी लाइनों के निर्माण में ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.40)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विद्युत शाखा की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कम्पनी

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) सिविल और विद्युत कार्य सम्पादित करता है। 26 विद्युत इकाइयों (इकाइयों) द्वारा ₹ 4,006.83 करोड़ के 957 विद्युत कार्य सम्पादित किये गये। आठ इकाइयों ने, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई, ₹ 2,303.95 करोड़ मूल्य के 481 कार्य सम्पादित किया जिनमें से ₹ 804.56 करोड़ की लागत पर 273 कार्य पूर्ण किये गये और 208 कार्य प्रगति पर थे जिन पर 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 1,499.39 करोड़ का व्यय हुआ था।

(प्रस्तर 2.2.1)

उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पादित की गई थी कि क्या विद्युत कार्य कम्पनी के मैनुअल और जीओयूपी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप मितव्ययिता पूर्ण, दक्षता पूर्ण एवं प्रभाविकता पूर्ण ढंग से कार्यान्वित किए गए।

(प्रस्तर 2.2.3)

विद्युत कार्यों का क्रियान्वयन

कम्पनी ने उपकेन्द्र/केबिल बिछाने के 88 कार्य क्रियान्वित किया। इनमें से, एक महीने से चार साल और चार महीने तक के विलम्ब के साथ मार्च 2016 के अंत तक 42 कार्य पूर्ण कर लिए गये और 46 कार्य प्रगति पर थे। इसके परिणामस्वरूप, 88 कार्यों पर व्यय की गई ₹ 1,155.12 करोड़ की धनराशि विलम्बित अवधि के लिए अवरूद्ध रही।

अन्य निक्षेप कार्यों के विद्युत कार्यों से सम्बन्धित ₹ 867.30 करोड़ मूल्य के 83 कार्यों के पूर्ण होने की अवधि उल्लिखित नहीं थी एवं इनको क्रियान्वित करने में दो वर्ष से 13 वर्ष का समय लगा।

(प्रस्तर 2.2.9, 2.2.19, 2.2.28, 2.2.36 एवं 2.2.37)

उच्च दरों पर अनुबन्ध एवं सामग्री का क्रय

दरों की विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण, कम्पनी ने उच्च दरों पर उपठेकेदारों से अनुबन्ध करके ₹ 78.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया एवं 2011–12 से 2015–16 के दौरान उच्च दरों पर सामग्री क्रय के कारण ₹ 3.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जिससे इसके ग्राहकों अर्थात डिस्कॉम्स, यूपीपीटीसीएल और सरकारी विभागों पर वित्तीय भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.20, 2.2.38 एवं 2.2.39)

मोबिलाइज़ेशन अग्रिम की अनियमित अवमुक्ति

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश (अक्टूबर 1997, अप्रैल 2007 और फरवरी 2011) प्रावधान करते हैं कि मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रावधान निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। जहाँ यह दिया जाना है, यह ब्याज सहित होना चाहिए। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आठ इकाइयों के परियोजना प्रभारियों द्वारा उपठेकेदारों को ₹ 142.03 करोड़ का अनियमित ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम देने में परिणत हुआ जिससे ₹ 21.90 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.21)

सामग्री का अधिक क्रय

संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रदर्शित हुआ कि तीन इकाइयाँ वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सामग्री की सही मात्रा का आंकलन करने में असफल रहीं। परिणामस्वरूप, पाँच उपकेन्द्रों के निर्माण में वास्तविक आवश्यकता से छः से 88 प्रतिशत अधिक ₹ 55.22 लाख मूल्य के कंट्रोल केबिल, पावर केबिल और कंडक्टर खरीदे गये।

220/132 केवी उपकेन्द्र, बागपत

132/33 केवी उपकेन्द्र, किरथल, बागपत

(प्रस्तर 2.2.32)

समय एवं लागत अतिरेक

कम्पनी ने प्राक्कलन में परियोजना अवधि के लिए लागत वृद्धि हेतु प्रावधान करने के उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के निर्णय को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 54 कार्यों के प्रकरणों में ₹ 216.16 करोड़ का लागत अतिरेक हुआ।

(प्रस्तर 2.2.37)

कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण तंत्र त्रुटिपूर्ण था क्योंकि फील्ड इकाइयों द्वारा कम्पनी के प्रधान कार्यालय को धनराशि प्रेषित न करने, ग्राहकों से प्राप्त निधि से अधिक व्यय, टीएस प्राप्त किये बिना कार्यों का निष्पादन, निर्धारित निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने, मोबिलाइजेशन एवं अन्य अग्रिमों की अनियमित अवमुक्ति, वैट का अधिक भुगतान एवं कर बीजक प्राप्त किये बिना वैट का भुगतान और उपठेकेदारों के बिलों से सेवाकर की कटौती न किये जाने के प्रकरण पाये गये।

(प्रस्तर 2.2.46)

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटरिग प्रणाली की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

विद्युत वितरण प्रणाली में, विद्युत् की मीटरयुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ऊर्जा की क्षति/चोरी को रोकने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। विद्युत अधिनियम, 2003 भी यह प्रावधान करता है कि कोई भी लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र में बिना सही मीटर की स्थापना के विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को अपने लाइसेंस क्षेत्र में सौ प्रतिशत मीटरिंग करने के लिए निर्देशित किया था।

(प्रस्तर 2.3.1)

लेखापरीक्षा परिणाम

योजना में कमी एवं गैर मीटरयुक्त संयोजनो के दृष्टान्तों की अधिकता

मीटर के क्रय की योजना में कमी से मार्च 2016 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान 8.11 लाख और 10.43 लाख के मध्य मीटरों का अल्प क्रय किया गया। अग्रेतर, कम्पनी ने परिकल्पित मीटर संख्या प्रदान करके कई गैर मीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत माना। इसके परिणामस्वरूप, गैर मीटरीकृत संयोजनों की संख्या मार्च 2012 के अन्त में 10.67 लाख से बढ़कर मार्च 2016 के अन्त में 12.98 लाख हो गई जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट में देखा जा सकता है:

मीटरयुक्त एवं गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं का विवरण

मार्च 2012 के अंत में कुल उपभोक्ता: 22.80 लाख

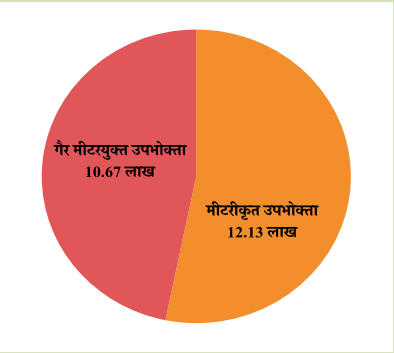

मार्च 2016 के अंत में कुल उपभोक्ता: 32.29 लाख

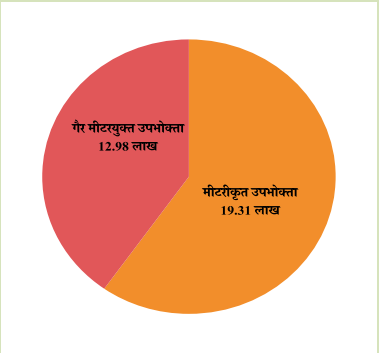

(प्रस्तर 2.3.3 एवं 2.3.5)

मीटरों के परिवर्तनीय कवर क्रय न किये जाने से हानि

क्षतिग्रस्त कवरों हेतु परिवर्तनीय मीटर कवरों का क्रय न किये जाने से कम्पनी को मीटरों के कार्यात्मक दशा में होने के बावजूद, 3,03,038 एकल/तीन फेज मीटरों के प्रतिस्थापन पर ₹ 21.64 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(प्रस्तर 2.3.10)

बिलिंग में अल्प निर्धारण

शहरी शेडयूल (10 घण्टों से अधिक की विद्युत आपूर्ति) से आपूर्ति पाने वाले निजी नलकूप उपभोक्ताओं का बिल ग्रामीण आपूर्ति के लिए लागू दरों पर किये जाने से राजस्व निर्धारण ₹ 17.81 करोड़ से कम किया गया।

(प्रस्तर 2.3.23)

उच्च दरों पर मीटर का क्रय

घटते हुए बाजार मूल्यों का फायदा उठाने के लिए 2.60 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु नयी निविदा आमंत्रित करने के बजाय पूर्व के दरों पर पूरक आदेश जारी किये जाने से कम्पनी को ₹ 1.86 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.3.7)

उच्च दरों पर कार्यों को प्रदान करना

कम्पनी के सामग्री प्रबन्धन अनुभाग द्वारा उद्धृत दरों की अंतर–मंडल तुलना करने में विफलता से कार्य को उच्चतर दरों पर प्रदान करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.3.20)

बिल निर्गत करने के लिए ठेकेदारों को अधिक भुगतान

कम्पनी ने अनंतिम मीटर रीडिंग और बिल जारी करने हेतु आपेक्षित आधी दर के विरूद्ध पूरी दर से भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.48 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 2.3.21)

उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवायें खण्ड द्वारा चयनित शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 27 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (एमएसडब्ल्यूएम) के निर्माण के लिए ₹ 419.61 करोड़ की स्वीकृति (सितम्बर 2006 से जनवरी 2011) प्रदान की। उत्तर प्रदेश जल निगम की सी एण्ड डीएस ने एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008)।

(प्रस्तर 2.4.1)

लेखापरीक्षा परिणाम

अपूर्ण परियोजनाओं पर निष्फल व्यय

सत्ताईस नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं में से केवल 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को ही सी एण्ड डीएस द्वारा तीन से पाँच वर्ष तक से अधिक विलम्ब के साथ पूर्ण किया जा सका। शेष 16 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें चार से आठ वर्षों तक से अधिक के विलम्ब के बाद भी अभी तक अपूर्ण थे।

इस प्रकार, 16 अपूर्ण परियोजनायें जिन पर ₹ 173.58 करोड़ निवेशित था, अवरूद्ध/अलाभकारी पड़े थे और स्वीकृति प्राप्त होने के पाँच से नौ वर्ष बीत जाने पर भी, इन 16 नगरों के 18.31 लाख टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक निपटान के एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और पिलखुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में आता है। इन परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में सी एण्ड डीएस और जीओयूपी दोनो विफल रहे। दोनो एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें ₹ 51.81 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी सितम्बर 2016 तक प्रयोग में नहीं लायी जा सकी। निम्नलिखित तस्वीरें एमएसडब्ल्यू के अवैज्ञानिक निपटान को दर्शाती हैं।

लखनऊ में बिना प्रोसेसिंग के इकट्ठा एमएसडब्ल्यू

(प्रस्तर 2.4.2, 2.4.3 एवं 2.4.12)

विकासकर्ता को अनुचित लाभ

अननुमन्य अतिरिक्त पूंजी अनुदान (सीजी) अवमुक्त करके, समानुपातिक सीजी निर्गत करने में विफलता से, अनियमित सीजी निर्गत करके, देय अनुमन्य सीजी का आंकलन किये बिना सीजी निर्गत करके, अनियमित मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त करके, क्षतिपूर्ति जुर्माने एवं बीजकों से मूल्य संवर्धन कर की कम वसूली करके तथा कल्याण सेस की कम कटौती करके, विकासकर्ताओं को ₹ 91.12 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(प्रस्तर 2.4.14 से 2.4.17, 2.4.19, 2.4.20, 2.4.26 एवं 2.4.27)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा देयकों की वसूली पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (निगम) द्वारा सितम्बर 2007 तक 41,330 उधारकर्ताओं को ₹ 3,248 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2016 तक 5,812 उधारकर्ताओं से ₹ 294.95 करोड़ के मूलधन के अतिरिक्त ₹ 29,762.37 करोड़ ब्याज वसूली के लिए लम्बित था। चूंकि सितम्बर 2007 से निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति रोक दी गयी थी, निगम का मुख्य क्रियाकलाप देयकों की वसूली ही रह गया था।

(प्रस्तर 2.5.1)

लेखापरीक्षा परिणाम

पुनरोद्धार के लिए ठोस प्रयास नहीं किया

निगम की वित्तीय स्थिति, यद्यपि, वर्ष 2007 से ही खराब थी फिर भी निगम द्वारा वर्ष 2013 तक जीओयूपी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये। निगम ने छः वर्षों से अधिक समय के पश्चात पुनरोद्धार पैकेज जीओयूपी को भेजा जो कि मार्च 2016 तक जीओयूपी के समक्ष लम्बित था।

(प्रस्तर 2.5.1)

उधारकर्ताओं से देयकों की वसूली हेतु लक्ष्य बिना आधार के निर्धारित करना

निगम ने वर्ष 2012–13 तक के देयकों की वसूली का लक्ष्य, विभिन्न श्रेणियों के देयकों का निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया था। इसके पश्चात, 2013–14 से 2015–16 तक के लिये बिना

किसी आधार के ₹ 100 करोड़ एक मुश्त राशि वार्षिक निर्धारित किया था। इसके परिणामस्वरूप, निगम किसी भी वर्ष में देयकों की वसूली का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। देयकों की वसूली भी 2011–12 में ₹ 46.13 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 25.54 करोड़ रही। जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

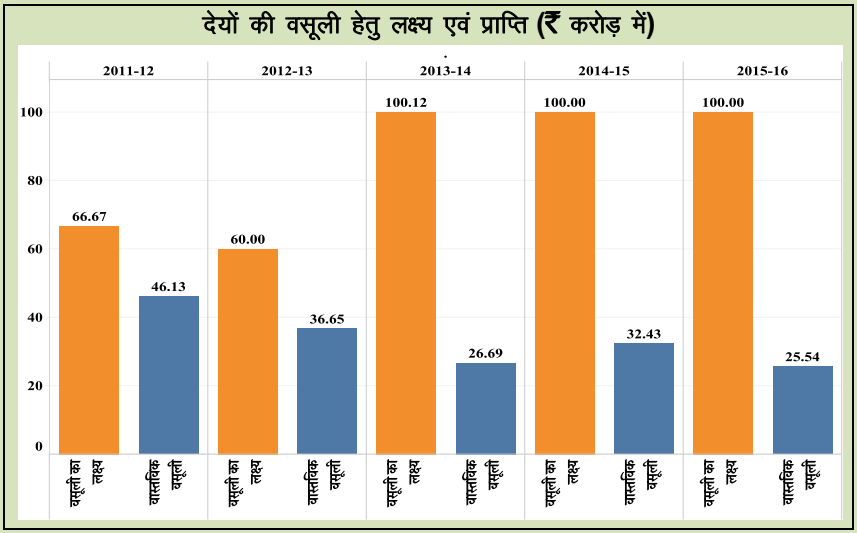

(प्रस्तर 2.5.5)

नोटिसें निर्गत करने एवं मूलधन की प्राप्ति में विलम्ब

निगम द्वारा देयकों की वसूली की प्रक्रिया का कर्मठता से अनुसरण नहीं किया गया था, क्योंकि उधारकर्ताओं को नोटिस निर्गत करने, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने एवं बंधक परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा लेने में विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बन्धक परिसम्पत्तियों के विक्रय एवं बकाया मूलधन ₹ 68.48 करोड़ की वसूली में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 2.5.7 से 2.5.12)

बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री में विलम्ब

वसूली प्रक्रिया के दूसरे चरण में बन्धक परिसम्पत्तियों की बिक्री है। एसएफसी अधिनियम की धारा 29 निगम को अधिकार प्रदान करती है कि देयकों के भुगतान में उधारकर्ताओं की विफलता की दशा में, बंधक परिसम्पत्तियों जैसे, भूमि, भवन और संयंत्र एवं मशीनरी का विक्रय कर सकता है।

10 वर्षों से बिना बिक्री के पड़े हुए मनसा राम ऑयल मिल, मुजफ्फरनगर के संयंत्र एवं मशीनरी

(प्रस्तर 2.5.8 एवं 2.5.13)

वसूली प्रमाणपत्र के माध्यम से बकाया राशि की दयनीय वसूली

राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) अधिनियम की धारा 32जी के अंतर्गत वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) निर्गत करने के अधिकार जीओयूपीसे प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निगम बकाया राशि की वसूली के लिए आरसी निर्गत कर उधारकर्ताओं का प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2011 को

लम्बित ₹ 83.45 करोड़ बकाये की वसूली के लिए कुल 1,069 आरसी में से, केवल ₹ 1.17 करोड़ ही वसूल किये जा सके।

(प्रस्तर 2.5.14)

बंधक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर एक मुश्त समाधान अन्तिमीकृत करने से हानि

आठ प्रकरणों में एक मुश्त समाधान का अन्तिमीकरण बंधक परिसमपत्तियों के मूल्य से कम पर करने के परिणामस्वरूप निगम को ₹ 2.68 करोड़ की हानि हुयी।

पाँच वर्षों के दौरान अन्तिमीकृत किये गये ओटीएस

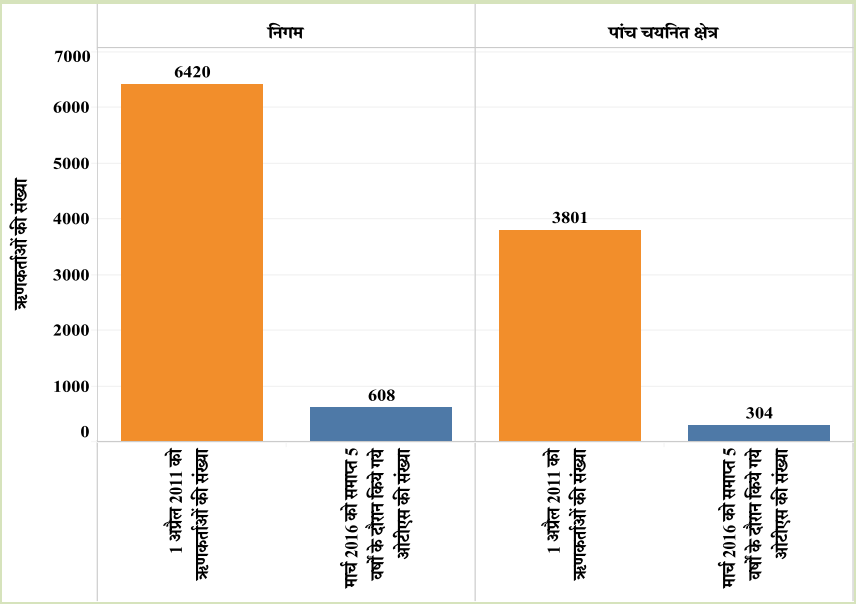

(प्रस्तर 2.5.15 एवं 2.5.17)

अनुसरण लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता

प्रस्तावना

लेखापरीक्षा द्वारा सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, में की गयी सात संस्तुतियों में से छः संस्तुतियों का कार्यान्वयन निगम/जीओयूपी द्वारा नहीं किया गया है।

(प्रस्तर 2.6.1)

लेखापरीक्षा परिणाम

गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों के संचालन के लिये कोई योजना नहीं

निगम द्वारा गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस संचालन में वृद्धि के लिए न कोई योजना बनायी गयी और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

(प्रस्तर 2.6.4)

बकायों की समय से वसूली के लिए कार्य योजना नहीं

निगम ने बकायों की समय से वसूली के लिए कार्य योजना नहीं बनायीं। इसके कारण मार्च 2016 तक लम्बित कुल बकाया राशि ₹ 83.02 करोड़ में से अक्टूबर 2016 तक मात्र ₹ 46.58 करोड़ की बकाया राशि ही वसूल हो सकी।

(प्रस्तर 2.6.5)

गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का संचालन

यह देखा गया कि राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई मार्च 2016 में वही (17,729) रही, जबकि, गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई मार्च 2009 के बाद 70,354 किलोमीटर से बढ़ गयी, जैसा कि निम्न चार्ट में देखा जा सकता है:

राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों की स्थिति

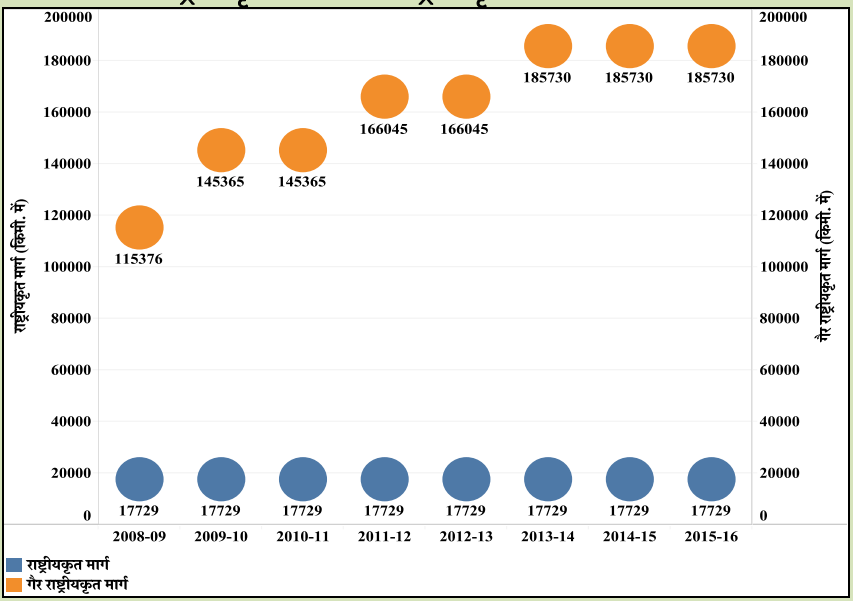

(प्रस्तर 2.6.4)

पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत राजस्व के गैर पारम्परिक स्रोतों का हस्तगत करना

निगम गैर यातायात स्रोतों से राजस्व हस्तगत करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं को लाने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.6.6)

राज्य परिवहन नीति का निरुपण

जीओयूपी ने न तो राष्ट्रीय परिवहन नीति के आधार पर कोई राज्य परिवहन नीति बनायी और न ही ऐसा करने के लिए कोई कदम उठाया।

(प्रस्तर 2.6.9)

पर्याप्त समय के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति

जीओयूपी ने निगम के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति कम से कम तीन वर्षों के लिये 1994 में निर्गत नीति दस्तावेज के प्रावधानों का अनुसरण नही किया क्योंकि प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 18 दिनों से एक साल नौ महीने एवं 19 दिनों तक बदलता रहा।

(प्रस्तर 2.6.10)

स्वतंत्र परिवहन नियामक की नियुक्ति

जीओयूपी ने स्वतंत्र परिवहन नियामक की नियुक्ति नहीं की, यद्यपि लेखापरीक्षा की यह संस्तुति जीओयूपी द्वारा स्वीकार की गई थी।

(प्रस्तर 2.6.11)

संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित थे।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उपभोक्ता को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (फरवरी 2016) कि यूपीपीसीएल के साथ किया गया पीपीए सीएनसीई विनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। अग्रेतर, कम्पनी के विद्युत वितरण खण्ड पिपरी, सोनभद्र द्वारा पीपीए के उपबन्धों की अनदेखी करते हुए उपभोक्ता को ₹ 5.78 करोड़ की 14.05 मिलियन यूनिट का समायोजन दिया, इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता को 31.94 एमयू विद्युत बिक्री के लिये ₹ 19.18 करोड़ का बीजक निर्गत नहीं किया गया।

इस प्रकार, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन की अनुमति देकर, सीएनसीई विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, उपभोक्ता को ₹ 24.96 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

(प्रस्तर 3.1)

उपभोक्ताओं की श्रेणी के परिवर्तन में विलम्ब से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये अनुमोदित टैरिफ आदेश के सामान्य प्रावधानों में उच्च वोल्टेज (एचवी)–2 श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प था एवं उपभोक्ता को मूल श्रेणी में वापस आने का विकल्प होगा, यदि वह ऐसा चाहे।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि उपभोक्ता ने एलएमवी–1 से एचवी–2 श्रेणी में परिवर्तन की स्वीकृति के लिये कम्पनी से अनुरोध किया (अक्टूबर 2009) परन्तु कम्पनी ने प्रदाय संहिता के उपवाक्य 4.40 के प्रावधान के अनुरूप 10 दिनों में उपभोक्ता को उच्च टैरिफ में परिवर्तन के लिये कोई कदम नहीं उठाया। उपभोक्ता को एचवी–2 श्रेणी के उच्च टैरिफ में परिवर्तन को देर से फरवरी 2013 में स्वीकार किया।

इस प्रकार, उपभोक्ता को एचवी–2 श्रेणी में प्रवसन करने में तीन वर्ष एवं तीन माह के अत्यधिक विलम्ब के कारण कम्पनी ने नवम्बर 2009 से जनवरी 2013 के दौरान ₹1.38 करोड़ के राजस्व की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.2)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

ठेकेदार को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2015) कि इकाई के परियोजना प्रबन्धन ने ठेकेदार को अगस्त 2010 से फरवरी 2012 के दौरान, ₹ आठ करोड़ मात्र की बैंक गारंटी के विरूद्ध ₹ 26.83 करोड़ का कुल अग्रिम प्रदान किया। लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि कम्पनी के वित्तीय परामर्शदाता अत्यधिक अग्रिम की अवमुक्ति रोकने में असफल रहे और ठेकेदार ने जनवरी 2014 में कार्य

को अपूर्ण छोड़ दिया। ₹ 26.83 करोड़ के अग्रिमों के विरूद्ध, इकाई मार्च 2011 से अगस्त 2015 के दौरान लम्बित बिलों के समायोजन, बैंक गारन्टी एवं प्रतिभूति की जब्ती से ₹ 21.80 करोड़ वसूल सकी। इसलिए, अभी तक (मार्च 2016) ₹ 5.03 करोड़ के अग्रिम की वसूली नहीं हो पायी, इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ₹ 6.72 करोड़ का वसूली योग्य ब्याज भी नहीं वसूला जा सका।

(प्रस्तर 3.5)

कार्य का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित किये बिना ठेकेदार को भुगतान से हानि

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अक्टूबर 2015) कि ₹ 32.22 करोड़ मूल्य के कुल कार्य के विरूद्ध ठेकेदार को ₹ 41.28 करोड़ का अधिक अग्रिम एवं भुगतान अवमुक्त किया गया। लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि किये गये ₹ 32.22 करोड़ के कार्य का मूल्य गलत था क्योंकि इकाई द्वारा बाद में मापे गये कार्य का वास्तविक मूल्य ₹ 19.72 करोड़ था। यह ठेकेदार को ₹ 12.50 करोड़ के अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

(प्रस्तर 3.6)

आयकर का परिहार्य भुगतान

कम्पनी की सूडा इकाई–1, मेरठ ने कार्यों पर किये गये व्यय पर 6.875 प्रतिशत के बजाय 11.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का लेखांकन किया था। परिणामस्वरूप, इसने अननुमन्य सेन्टेज आय पर ₹ 5.39 करोड़ के आयकर का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.7)

अतिरिक्त मिट्टी के निस्तारण पर परिहार्य व्यय

उत्तर प्रदेश जल निगम ने मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया और इसने अधिशेष मिट्टी की बिक्री से ₹ 75.23 लाख की सीमा तक राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(प्रस्तर 3.11)

निष्फल व्यय

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि निगम के श्रावस्ती (खण्ड) ने तन्डवा महन्त ग्राम में, जो कि प्राचीन स्मारक के 300 मीटर के अन्दर था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की अनुमति के बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया (सितम्बर 2006)।

इसके बाद, निर्माण को छोड़ दिया गया और अभी तक (अक्टूबर 2016) उसी तरह पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.90 लाख का निष्फल व्यय हुआ। स्मारक का फोटोग्राफ और परित्यक्त नलकूप का फोटोग्राफ नीचे दिया गया है:

तन्डवा ग्राम में स्थित स्मारक

तन्डवा महन्त में छोड़ा गया नलकूप

(प्रस्तर 3.10)

अन्य प्रस्तर

- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रदाय संहिता के प्रावधानों को लागू करके कार्य समाप्ति से सात दिनों में संयोजन मुक्त करने में विफल रही और उपभोक्ता से ₹ 1.05 करोड़ के फिक्स्ड चार्जेज की वसूली से वंचित रही।

(प्रस्तर 3.3)

- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने कल्याण सेस अधिनियम/नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 5.12 करोड़ कटौती और जमा नहीं किया किया एवं उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाया।

(प्रस्तर 3.4)

- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने डीपीआर मे प्रावधान न होने पर भी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों पर व्यय करके ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन किया।

(प्रस्तर 3.8)

- एलएमवी–8 उपभोक्ताओं पर नियामक अधिभार के गैर–अधिरोपण/अल्प–अधिरोपण के कारण दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ₹ 52.53 लाख के राजस्व की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.9)

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

क्यूआर कोड
के लिये स्थान

पूर्ण प्रतिवेदन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करे।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

2016

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन